



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 18 जून, 2018 ई0

ज्येष्ठ 28, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-II

देहरादून, 18 जून, 2018

अधिसूचना

चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना सं0 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 यथा संशोधित अधिसूचना सं0 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा:-

सारणी

क्र0 सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2018 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-11, dated June 18, 2018 for general information.

NOTIFICATION

June 18, 2018

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No. 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017 amended vide notification No. 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 23 November, 2017; namely:-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

2. This notification shall come into force with effect from the 28th day of May, 2018.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.